कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश भोपाल

(शाखा- भू प्रबंध)

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-5/1211/E file-0107/2025/ दिनांक, ई साइन

प्रेषक:-

एच. एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं; 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय:- बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उत्तर बैतूल वन मण्डल की 1.2496 हेक्टेयर वनभूमि एवं होशंगाबाद वन मण्डल की 6.7861 हेक्टेयर कुल 8.0357 हेक्टेयर वनभूमि सेन्ट्रल रेल्वे, नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत। ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/RAIL/150074/2021

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/ 6-MPR 027/2023-BHO दिनांक 08.07.2025

--0--

कृपया उपरोक्त ऑनलाईन आपत्ति का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 03 बिन्दु पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	This is not clear that how much area is a part of the area proposed for recommendation of NBWL from the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980, because in the forest area which is submitted for the recommendation of NBWL, can only be considered for necessary approval under the provision of FCA, 1980 only after getting wildlife clearance.	वन मण्डलाधिकारी नर्मदापुरम ने अपने पत्र दिनांक **12.08.2025** से आवेदक संस्थान की जानकारी से सहमत होते हुए प्रतिवेदन दिनांक **12.08.2025** से ऑनलाईन पोर्टल में TimeLine Details में अपलोड किया गया है।
2	Even now, on the basis of available information, it is difficult to ascertain whether the forest area which has not been included in the diversion was under the ownership of Railways before enactment of railway act in 1989	वन मण्डल अधिकारी नर्मदापुरम द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित रेल्वे लाईन संरक्षित वनखण्ड कीरतपुर, कवेली, ताकू एवं डांडीवाड़ा से गुजर रही है। उक्त वनखण्डों के वनखण्ड मानचित्रों में पूर्व से स्थित रेल्वे विभाग के स्वामित्व का क्षेत्र दर्शित है। रेलवे विभाग द्वारा प्रस्तुत मानचित्र एवं वनखण्ड मानचित्रों में दर्शित रेल्वे विभाग के स्वामित्व वाले क्षेत्र की डिजाईन का मिलन हो रहा है, परन्तु वन अभिलेखों में रेलवे के स्वामित्व का क्षेत्र कितना है, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ना ही प्रचलित कार्य आयोजना एवं सन्निधि

		मानचित्र एवं प्रबंधन मानचित्रों में रेल्वे के स्वामित्व की भूमि का विवरण है। वन मण्डलाधिकारी का प्रतिवेदन दिनांक **12.08.2025** से ऑनलाईन पोर्टल में TimeLine Details में अपलोड किया गया है।
3	This is not ascertained from the information provided by the State Govt that construction of subway is a violation of FCA, 1980 or not.	वन मण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल ने अपने पत्र दिनांक **13.08.2025** से अवगत कराया गया है कि रेलवे विभाग द्वारा सबवे निर्माण के दौरान अंजाने में उल लंघन होना लेख किया गया है और इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है**,** रेलवे विभाग द्वारा लेख किया गया है। विवरण दिनांक **21.08.2025** से ऑनलाईन पोर्टल में TimeLine Details में अपलोड किया गया है।

अत**:** प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाहे अनुसार जानकारी की पूर्ति हो गई है**,** कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 05-09-2025
16:48:20

(एच.एस. मोहन्ता)

प्रतिलिपि**:-**

1- वन मण्डलाधिकारी**,** सामान्य वन मण्डल**,** नर्मदापुरम**/** उत्तर बैतूल**,** मध्यप्रदेश।

2- उप मुख्य अभियंता **(**निर्माण**)** मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन**,** बैतूल**,** मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।